प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 27.08.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 560 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त संजय पाठक पुत्र स्व0 रामाज्ञा पाठक निवासी नन्हिया नायक (मिश्रपूरवा) थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 27.08.2025 को पैतइनी देवी मंदिर के पास से कुल 560 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय पाठक पुत्र स्व0 रामाज्ञा पाठक निवासी नन्हिया नायक (मिश्रपूरवा) थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 416/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 560 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, हे0का0 मोहन कुमार, का0 सत्यम सिंह, का0 मुन्नेलाल गुप्ता, का0 अरविन्द शर्मा।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त हरिशंकर निषाद पुत्र स्व0 रामकृपाल निवासी लेडूआ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर को आज दिनाँक 27.08.2025 को सांथा चौराहा के पास से कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

1. हरिशंकर निषाद पुत्र स्व0 रामकृपाल निवासी लेडूआ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर।

***पंजीकृत अभियोग*–** मु0अ0स0 204/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी*-** कुल 700 ग्राम अवैध गाँजा।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल*-** उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, हे0का0 कामेश्वर सिंह, हे0का0 विजय कुमार सिंह।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना***के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता पिण्टू उर्फ इन्द्रजीत पुत्र महेश मल्लाह निवासी बरगदवा अंसारी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार भारती, का0 अयोध्या प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5262 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5262 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत डिहवा बाजार से कालर द्वारा बाईक से बछड़े में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1. विशाल पुत्र राजेश सा0 कर्री थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु प्राइवेट वाहन से CHC मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु प्राइवेट वाहन से CHC मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अंजेश चौहान, हो0चा0 शशिकान्त।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166 वाहनों से 1,83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 27.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 166 वाहनों से 1,83,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी कर जमीन बैनामा करने के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वजवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 295/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(1),340(2), 61(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्तगण नाम पता मो0 ताहिर पुत्र मो0 नसीर निवासी समदा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर व मो0 कमर पुत्र मो0 यार निवासी धोबहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 27.08.2025 को नियमानुसार ग्राम परसा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

01.मो0 ताहिर पुत्र मो0 नसीर निवासी समदा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

02.मो0 कमर पुत्र मो0 यार निवासी धोबहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

विदित हो कि श्रीमती काफिया खातून पत्नी मुहम्मद रईस निवासी समदा थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर की जमीन को साक्ष्यों को छुपाकर अभियुक्तगण द्वारा दूसरे को बैनामा कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में कार्यालय उपनिबन्धक मेंहदावल द्वारा दिनांक 25.07.2025 को थाना मेंहदावल पर तहरीर दिया गया कि उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की

संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.08.2025 को उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0- श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 राजेश कुमार।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 319/2025 धारा 108 बीएनएस मे वाँछित अभियुक्त विकास कुमार गुप्ता पुत्र धीरज गुप्ता साकिन घेचुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धनखिरिया चौराहा सहजनवा मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 26.08.2025 को थाना बखिरा पर वादी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा ब्लैकमेल करके परेशान करने तथा कुछ कह देने जिससे वादी की पुत्री द्वारा दिनांक 23/24.08.2025 की रात्रि में जहर खाने व तत्काल परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाने तथा इलाज के दौरान वादी की पुत्री की मृत्यु होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 27.08.2025 को घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 आदित्य यादव, का0 संजय कुमार, का0 अमित यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2500रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 27.08.2025 को न्यायालय – **सीजे(जेडी)/जेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2016 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त तौफीक अहमद पुत्र मो0 याकूब निवासी चाईकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के मामले में जेल में बितायी गई अवधि व 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।